संदर्भ/Ref: BD/NSE/2024-25/Q2/24 दिनांक/Date: August 09, 2024

The Vice President
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400 051.

Sub: Newspaper publication pursuant to Regulation 52(8) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 52(8) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached the copy of Un-audited Standalone Financial Results of Export-Import Bank of India for the quarter ended June 30, 2024, published today i.e. August 09, 2024, in Business Standard in English and Hindi (All editions).

This is for your kind information and record.

Thanking You.

भवदीय / Yours faithfully,

SIDDHI SHASHANK KELUSKAR
Digitally signed by SIDDHI SHASHANK KELUSKAR
Date: 2024.08.09 15:05:47 +05'30'

(सिद्धी केळुसकर/ Siddhi Keluskar)

अनुपालन अधिकारी / Compliance Officer

HCL INFOSYSTEMS LIMITED

CIN: L72200DL1986PLC023955
Regd. Off.: 806, Siddharth, 96 Nehru Place, New Delhi 110 019.
Corp. Off.: A-11, First Floor, Sector -3 Noida, UP 201301.
Phone number: +91 120 2520977, 2526518-19; **Fax:** +91 120 2523791
Website: www.hclinfosystems.in; **Email ID:** cosec@hcl.com

UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

₹ in Lakhs

Sl. No.	Particulars	Quarter ended	Quarter ended	Year ended
		30-Jun-2024	30-Jun-2023	31-Mar-2024
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total income from operations	1,380	1,672	6,199
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items) from continuing operations	(413)	(589)	(2,778)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items) from continuing operations	(413)	(589)	(1,582)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items) from continuing operations	(413)	(589)	(1,588)
5.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items) from discontinued operations	–	–	–
6.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items) from discontinued operations, including disposal	–	–	–
7.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	(413)	(589)	(1,588)
8.	Total comprehensive income for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(415)	(586)	(1,583)
9.	Paid up equity share capital	6,584	6,584	6,584
10.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)			(33,516)
11.	Earnings Per Share (of ₹ 2/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	Basic :	(0.13)	(0.18)	(0.48)
	Diluted:	(0.13)	(0.18)	(0.48)

Unaudited Standalone Financial Results for the relevant periods are as follows ₹ in Lakhs

PARTICULARS	Quarter ended	Quarter ended	Year ended
	30-Jun-2024	30-Jun-2023	31-Mar-2024
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from operations	248	337	1,784
Net Profit/(Loss) for the period before tax and exceptional items	(411)	(628)	(1,247)
Net Profit / (Loss) for the period before tax and after exceptional items	(412)	(593)	(1,555)
Profit /(Loss) after tax and after exceptional items	(412)	(593)	(1,555)
Total comprehensive income for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(412)	(593)	(1,555)

Notes :-

1). After recommendation by the Audit Committee, these results have been approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on August 08, 2024. The statutory auditors of the Company have conducted limited review of these financial results, pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015.

2). The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the consolidated and standalone Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also available at the company's website www.hclinfosystems.in.

By order of the Board
for **HCL Infosystems Limited**
Sd/-
Ritu Arora
Director

Place : Gurugram
Date : August 08, 2024

HCL
HCL INFOSYSTEMS

CORAL INDIA FINANCE AND HOUSING LIMITED

Regd. Office: Dalamal House, 4th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400021
Tel No.: 2285 3911 • **Fax :** 2282 5753
Email: cs@coralhousing.in • **Website:** www.coralhousing.in • **CIN:** L67190MH1995PLC084306

NOTICE OF THE 30TH ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM) AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting ("AGM") of the Shareholders of **Coral India Finance and Housing Limited** ("the Company") will be held on **Friday, August 30, 2024 at 11.00 a.m. IST through Video Conference ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM")** to transact the business, that will be set forth in the Notice of the 30th AGM. The venue of the meeting shall be deemed to be the registered office of the Company at Dalamal House, 4th Floor, Jamnalal Bajaj Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021.

In accordance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules issued thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations') read with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circular 09/ 2023 dated 25th September 2023 and SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2023/0164 dated October 06, 2023 along with other applicable circulars issued by MCA, SEBI and Government of India (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), the AGM of the Company will be held through VC/OAVM.

In compliance with the above Circulars, the electronic copies of the Notice of the 30th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2023-24 has been electronically sent to the shareholders whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants (DPs). The Notice of the 30th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2023-24 will also be available on the Company's website at (www.coralhousing.in) and on the websites of the Stock Exchange where the Equity Shares of the Company are listed, i.e., BSE Limited at (www.bseindia.com) and National Stock exchange of India Limited at (www.nseindia.com).

Instructions of remote e-voting and e-voting during the AGM

1. Pursuant to provisions of Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide the facility of remote e-voting to the shareholders, to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the AGM. The facility of casting votes by the members using electronic voting system and for participating in the 30th AGM through the VC / OAVM along with voting during the AGM will be provided by National Depository Services Limited (NSDL).
2. **The remote e-voting period commences from Monday, August 26, 2024 at 9.00 a.m. IST** to **Thursday, August 29, 2024 at 5.00 p.m. IST.** The e-voting will not be permitted beyond 5.00 P.M. on Thursday, August 29, 2024. Members attending the meeting who have not cast their votes through remote e-voting shall be able to vote at 30th AGM.
3. The cut-off date for determining eligibility of members for remote e-voting is **Friday, August 23, 2024**. A person whose name recorded as beneficial owner in the register of members as on the cut-off date i.e. **Friday, August 23, 2024**, shall be entitled to avail facility of remote e-voting and voting at AGM.
4. The manner of participation and voting remotely or during the AGM for the Shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Shareholders who have not registered their e-mail has been provided in the Notice of the AGM.
5. Any Shareholders who have acquired shares of the Company and becomes Member of the Company after the Company sends the Notice of the 30th AGM by email and holds shares as on the cut-off date are requested to refer notice of the AGM for the process to be adopted to obtain User ID and Password for casting vote.
6. Members who have cast their votes by remote e-Voting prior to the AGM may also attend/ participate in the Meeting through VC/ OAVM but they shall not be entitled to cast their vote again.

In case of any queries related to e-Voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request Mr. Sagar Gudhate, Senior Manager – NSDL at evoting@nsdl.co.in Address- Trade World, A Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai- 400 013.

Shareholders holding shares in demat mode who have not updated their email address with Company are requested to register/update the details in their demat account, as per the process advised by their Depository Participant. Shareholders holding shares held in physical form who have not updated their email or KYC details are requested to register/update the said details in the prescribed Form ISR-1 with Registrar and Share Transfer Agent of the Company, Link Intime India Private Limited by writing at their address at C-101, 247 Park, L.B. S Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083 or by sending email at rnt.helpdesk@linkintime.co.in. The shareholders can access the relevant forms on the Company's website at https://www.coralhousing.in/kyc-forms.php.

The Board of Directors at their Board meeting held on May 29, 2024 have considered and recommended final dividend @ 20% on face value of ₹ 2 each i.e. ₹ 0.40 (Forty Paise) per equity share, subject to approval of shareholders at AGM. The final dividend will be paid, if approved by the members at the ensuing AGM, to those members whose names appear on the Register of Members or beneficial owners as maintained by the depositories as on end of business hours of the cut-off date i.e. Tuesday, August 20, 2024 and the dividend will be paid to the members on or before Friday, September 27, 2024. Members are requested to note that the Register of Members/Register of Beneficial Ownership maintained by the Depositories will remain closed from Wednesday, August 21, 2024 to Friday, August 30, 2024 (both days inclusive).

The shareholders may refer to the Company's communication related to TDS payment on dividend during the year 2024-25 and related draft of the forms/ declaration thereto on the Company's website at www.coralhousing.in.

For Coral India Finance and Housing Limited
Sd/-
Riya Shah
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: August 08, 2024

Ramkrishna Forgings Limited

RKFL

CIN No: L74210WB1981PLC034281
23, Circus Avenue, Kolkata - 700017
Email- secretarial@ramkrishnaforgings.com
Phone: 033-4082 0900/7122 0900, Fax-033-4082 0998/7122 0998
Website: www.ramkrishnaforgings.com

NOTICE OF 42nd ANNUAL GENERAL MEETING FOR THE FINANCIAL YEAR 2023-24, INFORMATION ON REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Ramkrishna Forgings Limited ("the Company") will be held on **Saturday, 31 August, 2024 at 11:45 A.M. (I.S.T)** through Video Conferencing ('VC')/Other Audio-Visual Means ('OAVM') facility to transact the business, as set out in the notice of AGM dated 24 July, 2024.

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General Circular No. 09/2023 dated 25 September, 2023 and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide its Circular SEBI/HO/CFD/ CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7 October, 2023 (collectively referred to as the "Circulars") has allowed Companies to conduct their AGM through VC/OAVM facility, in compliance with the SEBI and MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 (as amended) (the Act) and Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) ("SEBI Listing Regulations"). In accordance with the aforesaid Circulars, the Notice convening the 42nd AGM alongwith the Annual Report including the Audited Financial Statements (Standalone and Consolidated) for the Financial Year ended 31 March, 2024 has been sent on Wednesday, 7 August, 2023 only through e-mails to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agent (the RTA) i.e., KFin Technologies Limited (formerly KFin Technologies Pvt. Ltd.) (KFintech) or the Depository Participant(s) and holding Equity Shares of the Company as on Friday, 2 August, 2024. The Notice and the Annual Report are available on the website of the Company viz., www.ramkrishnaforgings.com and on the website of the Stock Exchanges where Equity Shares of the Company are listed, viz., www.nseindia.com and www.bseindia.com. The Notice shall also be available on the e-Voting website of the agency engaged for providing e-Voting facility, i.e., KFintech, viz., https://evoting.kfintech.com. The requirement of sending physical copies has been dispensed with vide the aforesaid Circulars.

Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is pleased to provide its Members with the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may be transacted through e-Voting facility provided through Kfintech.

a) All the business as set out in the Notice of the 42nd AGM may be transacted through remote e-voting.
b) **The remote e-voting period will commence on Wednesday, 28 August, 2024 at 9.00 A.M (I.S.T) and shall end on Friday, 30 August, 2024 at 5.00 P.M (I.S.T).**
c) The **Cut-Off Date** for determining the eligibility to vote by remote e-voting and/or by e-voting at the AGM shall be the close of business hours of **Friday, 23 August, 2024**. Members holding equity shares either in physical or in dematerialised form as on the close of the market hours of the said cut-off date, are eligible to cast their votes electronically through remote e-voting or through e-voting at the AGM. Any person who has acquired shares and has become a Member of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and holds equity shares as on the cut-off date may approach KFintech at einward.ris@kfintech.com or to Mr. N Shyam Kumar, Contact No. 040-67162222, at KFin Technologies Limited, Unit- Ramkrishna Forgings Limited, Selenium Building, Tower B, Plot 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serlingampally Mandal, Hyderabad, Rangareddy, Telengana – 500 032 for issuance of the User ID and Password for exercising their right to vote by electronic means.
d) Members may note that:
i) the remote e-voting module shall be disabled by KFintech after the aforesaid date and time and no remote e-voting shall be allowed beyond the same. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
ii) the facility for e-voting shall also be made available at the AGM;
iii) the Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and
iv) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the close of market hours of the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e voting as well as voting at the AGM.
e) In case of any query and/or assistance required, relating to attending the Meeting through VC/OAVM mode, Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and AGM VC/OAVM at the download section of https://evoting.kfintech.com or contact Mr. N Shyam Kumar at email id evoting@kfintech.com or KFintech's toll free no. 1-800-309-4001 for any further clarifications/ technical assistance that may be required. The grievances can also be addressed to the Company Secretary & Compliance Officer of the Company by sending an e-mail to secretarial@ramkrishnaforgings.com.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 42 of the SEBI Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 24 August, 2024 to Saturday, 31 August, 2024 (both days inclusive) for the purpose of the 42nd AGM of the Company for the Financial Year 2023-24.

For Ramkrishna Forgings Limited
Sd/-
Rajesh Mundhra
Company Secretary & Compliance Officer
ACS 12991

Place: Kolkata
Date: 8 August, 2024

इंडिया एक्ज़िम बैंक India Exim Bank

EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

Head Office: Centre One Building, Floor 21, World Trade Centre Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400005
Tel: (022) 22172619, 22172628, 22172693 **Fax:** (022)-22182497 **Website:** www.eximbankindia.in

Un-audited Standalone Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024

₹ in crore

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 30-06-2024	Quarter ended 30-06-2023	Year ended 31-03-2024
		(Un-audited)	(Un-audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	4,508.27	3,403.78	14,902.38
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	607.43	361.56	3,336.54
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	607.43	361.56	3,336.54
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	445.63	272.55	2,518.67
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	NA	NA	NA
6	Paid up Equity Share Capital	15,909.37	15,909.37	15,909.37
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	6,984.93	4,718.26	6,984.93
8	Securities Premium Account	NA	NA	NA
9	Net worth	22,894.30	20,627.63	22,894.30
10	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	NA	NA	NA
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA
12	Debt Equity Ratio	6.48 : 1	6.06 : 1	6.75 : 1
13	Earnings Per Share (of Rs. ___/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted:	NA	NA	NA
14	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA
15	Debenture Redemption Reserve	NA	NA	NA
16	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA
17	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA

Notes:

1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently noted by the Board of Directors at their respective meetings held on August 08, 2024.
2. The above is an extract of the detailed format of the quarterly and / or yearly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the quarterly and / or yearly financial results are available on the Bank's website (**https://www.eximbankindia.in/investor-relations**) and on the website of NSE (**https://www.nseindia.com**).
3. For the other line items referred in regulation 52 (4) of the SEBI(LODR) Regulations,2015 pertinent disclosures have been made to NSE and can be accessed on (**https://www.nseindia.com**).

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
Harsha Bangari
Managing Director

Place: Mumbai
Date: August 08, 2024

SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED

sutlej textiles and industries limited

Regd.Office: Pachpahar Road, Bhawanimandi - 326 502 (Rajasthan)
CIN : L17124RJ2005PLC020927 Tel :(07433)222052/82/90,
Email: hoffice@sutlejtextiles.com, Website: www.sutlejtextiles.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2024

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	3 months ended	Preceding 3 months ended	Corresponding 3 months ended in the previous Year	Previous Accounting Year ended
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
		30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024
1	Total Income from Operations	658.07	656.35	704.48	2703.20
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	(18.77)	(30.10)	(44.90)	(195.18)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(18.77)	(38.55)	(44.90)	(203.63)
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(11.40)	(25.55)	(30.49)	(135.56)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(10.64)	(22.76)	(30.24)	(131.92)
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 1/- per share)	16.38	16.38	16.38	16.38
7	Other Equity				944.72
8	Earnings per share before / after extraordinary items (of ₹ 1/- each) (not annualised)				
	a) Basic :	(0.70)	(1.56)	(1.86)	(8.27)
	b) Diluted :	(0.70)	(1.56)	(1.86)	(8.27)

Key information on Standalone Financial Results

Sr. No.	Particulars	3 months ended	Preceding 3 months ended	Corresponding 3 months ended in the previous Year	Previous Accounting Year ended
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
		30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024
1	Total Income from Operations	651.74	650.00	694.06	2671.72
2	Profit/(Loss) before exceptional items and tax	(16.39)	(24.92)	(43.47)	(183.73)
3	Profit/(Loss) Before Tax	(22.39)	(43.88)	(43.47)	(202.69)
4	Profit/(Loss) After Tax	(15.02)	(30.87)	(29.06)	(134.61)
5	Total Comprehensive Income/(Loss)	(14.26)	(28.07)	(28.81)	(131.07)

Notes:

1. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 7 August 2024 and 8 August 2024
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulations, 2015.The full format of the Standalone and Consolidated Financial results for the three months ended 30 June 2024 are available on Stock Exchanges websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and on Company's website www.sutlejtextiles.com.

For SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED
Rajib Mukhopadhyay
Whole-time Director & CFO

Place : Mumbai
Date : 08 August, 2024

Shankara Building Products Ltd.

CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2024

(₹ In Crores, except per share data)

Particulars	For the Quarter ended			For the year ended
	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total Income from Operations (net)	1,291.50	1,378.96	1,132.59	4,833.68
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	21.54	32.17	23.17	108.10
Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	21.54	32.17	23.17	108.10
Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	16.05	24.22	17.28	81.13
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	16.13	24.29	17.32	81.44
Equity Share Capital (Face Value of ₹10/- each)	24.25	24.25	22.85	24.25
Reserves(excuding Revaluation reserve as per balance sheet of previous year)				773.32
Earnings per share (of ₹10/- each) - not annualised /annualised for the year ended 31-03-2024				
Basic & Diluted (₹)	6.62	10.01	7.56	34.67
Key results of Shankara Building Products Limited on a standalone basis				
Total Income	1,178.34	1,325.52	1,174.26	4,869.41
Profit before tax	20.45	27.22	19.11	92.92
Profit after tax	15.33	20.60	14.25	69.86
Total Comprehensive Income	15.40	20.66	14.28	70.13

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com, www.nseindia.com and Company's website www.shankarabuildpro.com

SUKUMAR SRINIVAS
Managing Director
DIN : 01668064

Place : Bengaluru
Date : 8th August 2024

SHANKARA BUILDING PRODUCTS LIMITED
CIN: L26922KA1995PLC018990, **Registered Office:** G-2, FARAH WINSFORD, 133, INFANTRY ROAD, BENGALURU - 560 001
Website: www.shankarabuildpro.com, **Email:** compliance@shankarabuildpro.com

Adfactors 240

टॉप-अप ऋण

नियम से नहीं चल रहीं कुछ इकाइयां

आरबीआई ने कहा कि कुछ बैंक और एनबीएफसी टॉप-अप ऋण नियमों पर सख्ती से ध्यान नहीं दे रहे

आतिरा वारियर और अभिजित लेले
मुंबई, 8 अगस्त

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को कहा कि कुछ बैंक और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां टॉप-अप ऋण नियमों का पालन नहीं कर रही हैं जिनका सीधा संबंध ऋण-मूल्य अनुपात और फंड के इस्तेमाल की निगरानी से है। हालांकि बैंक बढ़ते ऋण के जोखिम से बचने के इंतजाम में बढ़ोतरी के बावजूद, क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि में तेजी देखी जा रही है।

आरबीआई के गर्वनर शक्तिकांत दास ने सभी ऋणों में आवास ऋण या टॉप-अप आवास ऋण में तेजी को देखते हुए कहा कि कुछ बैंक ऋण-मूल्य अनुपात, जोखिम भार और फंडों के अंतिम इस्तेमाल की निगरानी सख्ती से नहीं कर रहे हैं। दास ने कहा, 'ऋण में आवास ऋण की हिस्सेदारी, या टॉप-अप आवासीय ऋण तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। बैंक और एनबीएफसी, गोल्ड लोन जैसे ऋणों पर भी टॉप-अप ऋण की पेशकश कर रहे हैं।' दास ने कहा कि बैंकों और एनबीएफसी को यह सुझाव दिया जाता है कि वह इस प्रक्रिया की समीक्षा करें और इसके निदान के लिए कोई कदम उठाए। टॉप-अप ऋण ऐसा अतिरिक्त ऋण है, जिसे ग्राहक अपने मौजूदा निजी या आवास ऋण के ऊपर ले सकते हैं।

पिछले साल नवंबर में आरबीआई ने असुरक्षित ग्राहक ऋण और एनबीएफसी के बैंक ऋण पर ज्यादा ब्याज लिया। नतीजतन जहां जोखिम भार बढ़ाए गए थे उन क्षेत्रों में

आरबीआई की नाराजगी

- क्रेडिट कार्ड खर्च में देखी जा रही है बढ़ोतरी और ब्याज में बढ़ोतरी के बावजूद इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है
- कुल ग्राहक ऋण वृद्धि नवंबर 2023 के 23.3 प्रतिशत से कम होकर जून 2024 में 13.9 फीसदी हो गई
- एनबीएफसी का बैंक ऋण समान अवधि के दौरान 18.5 फीसदी से घटकर 8.2 फीसदी हो गया
- एनबीएफसी को यह सुझाव दिया जाता है कि वह इस प्रक्रिया की समीक्षा करें और इसके निदान के लिए कदम उठाए

कुल ग्राहक ऋण वृद्धि नवंबर 2023 के 23.3 प्रतिशत से कम होकर जून 2024 में 13.9 फीसदी हो गई। इसके ही समानांतर एनबीएफसी का बैंक ऋण समान अवधि के दौरान 18.5 फीसदी से घटकर 8.2 फीसदी हो गया।

हालांकि 'क्रेडिट कार्ड बकाया' जैसे असुरक्षित निजी ऋणों की ऋण वृद्धि घट रही है लेकन यह नवंबर 2023 के 34.2 फीसदी की तुलना में जून 2024 में 23.3 फीसदी रही। दास ने कहा, 'लोग सामान आदि की खरीदारी करने के लिए ज्यादा खुदरा ऋण ले रहे हैं जिसकी सख्त निगरानी करने की जरूरत है क्योंकि यह व्यापक स्तर की निगरानी के लिहाज से अहम है।'

बैंकरों का कहना है कि टॉप-अप ऋण का बारीकी से मूल्यांकन करने पर यह अंदाजा मिलेगा कि किस तरह के लोगों को घर खरीदने के लिए लिए गए पैसे पर भी इस तरह के ऋण दिए जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंक के एक अधिकारी ने कहा, 'अन्य ऋणों में जिसमें मूलधन का बड़ा हिस्सा चुका दिया गया हो उसकी तुलना में हाल में घर खरीदने वाले कर्जदार जिन्हें टॉप-अप ऋण दिया गया है वे ज्यादा असुरक्षित हैं क्योंकि उनके ऋण में मूलधन का हिस्सा अधिक है जिसे चुकाने का दबाव अधिक होगा।'

वित्तीय सेवा शोध के प्रमुख प्रबंध निदेशक सुरेश गणपति का कहना है, 'आरबीआई के बयान को देखते हुए हमारा मानना है कि प्रत्येक बैंक के परिसंपत्ति/देनदारियों से जुड़े इन क्षेत्रों/सेगमेंट के हिसाब से अलग तरीके का असर पड़ेगा। हालांकि बैंक अपने आवास ऋण या संपत्ति के एवज में ऋण (एलएपी) के सटीक अनुपात का खुलासा नहीं करते हैं लेकिन हमारा मानना है कि ज्यादातर बैंकों का एलएपी ऋण कुल आवास ऋण का करीब 15-20 प्रतिशत होगा।'

मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद संवाददाता सम्मेलन के दौरान दास ने कहा कि ऋण के ऊपर अतिरिक्त ऋण लेने संबंधी समस्या सभी जगह नहीं देखी जा रही है बल्कि कुछ बैंकों में यह रुझान देखा जा रहा है और आरबीआई इससे द्विपक्षीय तरीके से निपट रहा है। दास ने कहा, 'यह समस्या कुछ बैंकों में देखी जा रही है और हम इसकी निगरानी कर रहे हैं।'

महंगाई का दबाव

'खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव की अनदेखी संभव नहीं'

सुब्रत पांडा
मुंबई, 8 अगस्त

ऊंची खाद्य कीमतों से मुद्रास्फीति के अनुमान प्रभावित होते हैं

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव को मौद्रिक नीति समिति द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। उनका यह बयान आर्थिक समीक्षा में हाल में दिए गए सुझाव के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि भारत के मुद्रास्फीति-लक्षित ढांचे में खाद्य कीमतों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

मौद्रिक नीति समीक्षा बयान में दास ने कहा है कि खाद्य कीमतों में लगातार तेजी से वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में मुद्रास्फीति नियंत्रण की प्रक्रिया में बाधा पैदा हुई। दास ने कहा, 'हमारा लक्ष्य समग्र (हेडलाइन) मुद्रास्फीति है जिसमें खाद्य मुद्रास्फीति का भार लगभग 46 फीसदी है। खपत में खाद्य उत्पादों की इस ऊंची भागीदारी के साथ, खाद्य मुद्रास्फीति दबाव की अनदेखी नहीं की जा सकती।'

उन्होंने कहा, 'इसलिए, हम केवल इसलिए संतुष्ट नहीं हो सकते और न ही होना चाहिए कि मुख्य (कोर) मुद्रास्फीति में काफी गिरावट आई है।'

इस साल की आर्थिक समीक्षा में इस पर विचार करने का सुझाव दिया गया कि क्या भारत के मुद्रास्फीति-लक्षित ढांचे से खाद्य मुद्रास्फीति को बाहर किया जाना चाहिए? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मौद्रिक नीति एक शॉर्ट-टर्म वृहद समग्र मांग प्रबंधन साधन है, जो संपूर्ण आपूर्ति झटके का प्रबंधन नहीं कर सकता है और खाद्य झटके मुख्य रूप से आपूर्ति झटके होते हैं।

दास ने गुरुवार को कहा कि यदि खाद्य मुद्रास्फीति अस्थायी रही तो एमपीसी इस पर विचार कर सकती है, लेकिन ऊंची खाद्य मुद्रास्फीति के माहौल में, जैसा कि हम अभी अनुभव कर रहे हैं, एमपीसी ऐसा करने का जोखिम नहीं उठा सकती। उन्होंने कहा, 'एमपीसी को लगातार खाद्य मुद्रास्फीति से होने वाले दुष्परिणामों या अन्य प्रभावों को रोकने के लिए सतर्क रहना होगा।'

भारत की समग्र मुद्रास्फीति अप्रैल और मई में 4.8 फीसदी पर बने रहने के बाद जून में बढ़कर 5.1 फीसदी पर पहुंच गई, क्योंकि इसमें खाद्य कीमतों के बढ़ने से तेजी आई। सब्जियों, दालों और खाद्य तेलों के साथ मोटे अनाज, दूध, फल और तैयार भोजन की कीमतों में भारी तेजी आने से मुद्रास्फीति का आंकड़ा बढ़ गया। हालांकि कोर इन्फ्लेशन यानी मुख्य मुद्रास्फीति (सीपीआई, फूड और ईंधन को छोड़कर) मई-जून में 3.1 फीसदी रही, जो मौजूदा सीपीआई सीरीज में नए निचले स्तर पर पहुंच गई। दास के अनुसार, खाद्य मुद्रास्फीति पर एमपीसी की सतर्कता इस तथ्य से भी स्पष्ट हुई है कि ऊंची खाद्य महंगाई का घरेलू मुद्रास्फीति के अनुमानों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लगातार ऊंची खाद्य मुद्रास्फीति से मुख्य मुद्रास्फीति पर प्रभाव बढ़ सकता है, क्योंकि इससे रहन-सहन की लागत बढ़ने से पारिश्रमिक में इजाफा हो सकता है।

उन्होंने कहा, 'महंगाई बढ़ने से कंपनियां सेवाओं के साथ-साथ उत्पादों की ऊंची कीमतों को बढ़ावा दे सकती हैं। इन बदलावों के परिणामस्वरूप खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आने के बाद भी कुल मुद्रास्फीति स्थिर बनी रह सकती है।'

बैंकों को नसीहत

बैंकों को नए उत्पादों और सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए: दास

सुब्रत पांडा
मुंबई, 8 अगस्त

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को बैंकों को नए उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने के साथ-साथ अपने शाखा नेटवर्क का लाभ उठाने का निर्देश दिया ताकि घरेलू वित्तीय बचत को जमा के रूप में आकर्षित किया जा सके। मौजूदा समय में बैंकों के ऋण और जमा की वृद्धि में अंतर है, जिससे बैंकों में नकदी प्रबंधन को लेकर चिंता बढ़ रही है।

मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद मीडिया के साथ बातचीत में दास ने कहा कि वैकल्पिक निवेश के रास्ते खुदरा ग्राहकों के लिए अधिक आकर्षक होते जा रहे हैं और बैंकों को वित्त पोषण के मोर्चे पर कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बैंकों की जमाएं ऋण वृद्धि से पीछे हैं। इसकी वजह से बैंकों को बढ़ती ऋण मांग पूरी करने के लिए अल्पावधि गैर-रिटेल जमाओं और देनदारी के अन्य विकल्पों, खासकर जमा पत्रों का सहारा लेना पड़ रहा है।

दास ने कहा, 'इससे बैंकिंग व्यवस्था को ढांचागत तरलता की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।' बैंकों को नवीनतम योजनाओं और सेवा पेशकशों के जरिये तथा अपने मजबूत शाखा नेटवर्क का लाभ उठाकर घरेलू वित्तीय बचत आकर्षित करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हालांकि गवर्नर ने जमाओं पर ब्याज दरों के संदर्भ में कोई खास जानकारी नहीं दी।

दास ने कहा, 'उधारी और जमा दरें अनियमित हैं। संपूर्ण आर्थिक परिवेश, मौजूदा वित्तीय स्थितियों और जमाओं पर अलग-अलग बैंकों की स्थिति (उनके पास कितनी राशि है, जमा राशियों की संरचना, ऋण वृद्धि) के आधार पर बैंकों को जमा दरों पर निर्णय लेना होगा और स्वयं ही कदम उठाना होगा।'

जमाएं जुटाना बैंकों के लिए एक प्रमुख चिंता बनती जा रही है, क्योंकि परिवार अपनी बचत इक्विटी बाजारों

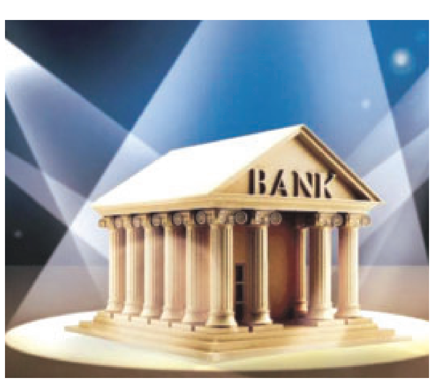

मौजूदा समय में बैंकों के ऋण और जमा की वृद्धि में अंतर है, जिससे बैंकों में नकदी प्रबंधन को लेकर चिंता बढ़ रही है

में लगाने पर जोर दे रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत प्रमुख बैंकों ने ऋण वृद्धि को मजबूत बनाने के प्रयास में जमाओं पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं। कई अन्य बैंक इन्फ्रा बॉन्डों के जरिये पूंजी जुटाने पर जोर दे रहे हैं। ऐसे निर्गमों में तेजी देखी जा रही है। आरबीआई गवर्नर ने भारतीय बैंकों की सुस्त जमा वृद्धि को लेकर कई बार चिंता जताई है। पिछले महीने उन्होंने कहा था कि जमा वृद्धि की रफ्तार ऋण वृद्धि से ज्यादा रहने से वित्तीय व्यवस्था के लिए जोखिम पैदा हो सकता है। दास ने कहा, 'लोन फंडिंग डिपॉजिट्स' के मुकाबले 'डिपॉजिट फंडिंग लोन' को लेकर केंद्रित हो सकती है, लेकिन मौजूदा नियामकीय चिंताएं इस तथ्य से पैदा हुई हैं कि ऐसे ढांचागत बदलाव हो सकते हैं जिन पर बैंकों को ध्यान देने और उसके अनुसार अपनी योजनाएं बाने की जरूरत होगी।'

उन्होंने कहा, ऋण वृद्धि मजबूत बनी हुई है, बैंकों को सुधार पर लगातार ध्यान देने और क्रेडिट अंडरराइटिंग मानकों तथा जोखिम मूल्यांकन में बदलाव लाने की जरूरत है।

एक दिन में चेक होंगे क्लियर

चेक क्लियर करने की प्रक्रिया में तेजी, भुगतान की बढ़ेगी रफ्तार

अभिजित लेले
मुंबई, 8 अगस्त

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चेक भुगतान से जुड़े जोखिम कम करने और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने के मकसद से चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) में बदलाव का प्रस्ताव देते हुए चेक क्लियर करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही। वर्तमान में चेक जमा करने से लेकर राशि आने तक दो दिन का समय लग जाता है।

फिलहाल सीटीएस के जरिये चेक क्लियर करने की प्रक्रिया बैच के माध्यम से होती है। लेकिन प्रस्तावित व्यवस्था के तहत चेक जमा किए जाने के कुछ घंटों के भीतर ही चेक क्लियर हो जाएगा। इससे चेक भुगतान की रफ्तार भी बढ़ेगी और चेक देने वाले और चेक पाने वाले दोनों को ही इससे फायदा होगा। प्रस्ताव यह है कि चेक को पहले स्कैन किया जाएगा और उसे पेश किए जाने के बाद कुछ घंटे में ही क्लियर कर दिया जाएगा और यह पूरे कारोबारी घंटे के दौरान लगातार किया जाएगा। इस तर चेक को क्लियर होने का समय घटकर महज कुछ घंटे हो जाएगा। आरबीआई ने मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए एक बयान में कहा कि इस संदर्भ में विस्तृत ब्योरा जल्द ही जारी किया जाएगा।

आरबीआई ने कहा कि नया तंत्र चेक क्लियर करने की क्षमता में सुधार लाएगा और प्रतिभागियों के लिए निपटान जोखिम कम करने के साथ ही ग्राहकों के अनुभवों को बेहतर बनाएगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) के अध्यक्ष तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ एम वी राव ने कहा कि चेक के तुरंत निपटान से आम जनता को फायदा होगा।

डिजिटल लेंडिंग ऐप का रिपोजिटरी बनाएगा आरबीआई

भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) जैसी इकाइयों द्वारा इस्तेमाल डिजिटल लेंडिंग ऐप्लीकेशन (डीएलए) का पब्लिक रिपोजिटरी तैयार कर रहा है। पब्लिक रिपोजिटरी बनाए जाने से ग्राहकों को डीएलए और विनियमित इकाइयों के बीच संगठनों से अवगत होने में मदद मिलेगी। डिजिटल ऋण देने वाली बेईमान कंपनियों की बढ़ती मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए इस रिपोजिटरी की स्थापना की जा रही है। ये कंपनियां बैंकों और एनबीएफसी के साथ अपने संबंध होने का झूठा दावा करते हैं।आरबीआई ने गुरुवार को कहा, 'रिपोजिटरी आरई द्वारा सौंपे गए आंकड़े पर आधारित होगा। *बीएस*

यूपीआई भुगतान

यूपीआई के लिए 'डेलीगेटेड पेमेंट्स' की तैयारी शुरू

अजिंक्य कावले
मुंबई, 8 अगस्त

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) पर 'डेलीगेटेड पेमेंट्स' शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इस सुविधा से कई उपयोगकर्ताओं को एक बैंक खाते से यूपीआई भुगतान करने की अनुमति मिलेगी और खाताधारक यूपीआई-आधारित खाते से जुड़े सेकंडरी यूजर्स के लिए ट्रांजेक्शन लिमिट तय कर सकेगा।

आरबीआई ने कहा, 'इस नए उत्पाद से डिजिटल भुगतान की पहुंच पूरे देश में बढ़ने की संभावना है।' मौजूदा समय में, यूपीआई से 42.4 करोड़ उपयोगकर्ता जुड़े हुए हैं।

बैंकिंग नियामक ने कहा है कि यूपीआई पर डेलीगेटेड पेमेंट्स के बारे में विस्तृत जानकारी एवं निर्देश जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे।

इसके अलावा, आरबीआई ने यूपीआई के जरिये कर भुगतान की सीमा मौजूदा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजेक्शन कर दी है।

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर भुगतान की सीमा में यह इजाफा पूंजी बाजारों, आईपीओ खरीदारी, ऋण संग्रह, बीमा, चिकित्सा एवं शैक्षिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में यूपीआई सीमाएं बढ़ाने के लिए नियामक के पिछले निर्णयों के बाद किया गया है।

पिछले साल दिसंबर में, अस्पतालों और शैक्षिक

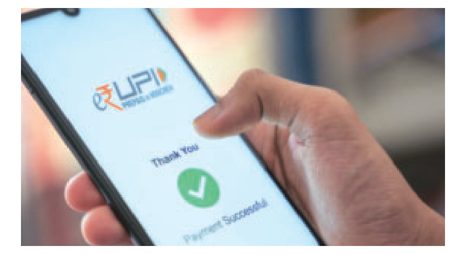

अब एक खाते से दूसरा यूजर भी कर सकेगा यूपीआई से भुगतान

संस्थानों के लिए भुगतान सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजेक्शन की गई थी।

यूपीआई से जुड़ी ये घोषणाएं ऐसे समय में की गई हैं जब ट्रांजेक्शन की मात्रा लगातार तेजी से बढ़ रही है।

जुलाई में यूपीआई पर ट्रांजेक्शन सालाना आधार पर 45 प्रतिशत बढ़कर 14.44 अरब पर पहुंच गया। नैशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा जारी आंकड़े से पता चला है कि ट्रांजेक्शन की वैल्यू भी सालाना आधार पर 35 प्रतिशत बढ़कर 20.64 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई। जुलाई में लगातार तीसरे महीने यूपीआई पर ट्रांजेक्शन की वैल्यू में इजाफा दर्ज किया गया। इससे पहले जून में यूपीआई ट्रांजेक्शन वैल्यू 20.07 लाख करोड़ रुपये और मई में 20.44 लाख करोड़ रुपये रही।

इंडिया एक्ज़िम बैंक
India Exim Bank
भारतीय निर्यात-आयात बैंक

प्रधान कार्यालय: केंद्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र कॉम्प्लेक्स, कफ़ परेड, मुंबई-400005
दूरभाष: (022) 22172619, 22172628, 22172693 **फैक्स:** (022)-22182497, **वेबसाइट:** www.eximbankindia.in

30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए गैर-लेखापरीक्षित एकल वित्तीय परिणाम

₹ करोड़ में

क्रमांक	विवरण	30-06-2024 को समाप्त तिमाही (गैर-लेखा परीक्षित)	30-06-2023 को समाप्त तिमाही (गैर-लेखा परीक्षित)	31-03-2024 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)
1	कुल परिचालन आय	4,508.27	3,403.78	14,902.38
2	इस अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर-पूर्व, विशेष तथा/अथवा असाधारण मदें)	607.43	361.56	3,336.54
3	इस अवधि के लिए कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) (विशेष तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	607.43	361.56	3,336.54
4	इस अवधि के लिए कर पश्चात निवल लाभ/(हानि) (विशेष तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	445.63	272.55	2,518.67
5	इस अवधि के लिए कुल व्यापक आय [इस अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) सहित]	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	15,909.37	15,909.37	15,909.37
7	आरक्षित निधियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर)	6,984.93	4,718.26	6,984.93
8	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	नेटवर्थ	22,894.30	20,627.63	22,894.30
10	चुकता ऋण पूंजी/बकाया ऋण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	बकाया प्रतिदेय अधिमानी शेयर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
12	ऋण इक्विटी अनुपात	6.48 : 1	6.06 : 1	6.75 : 1
13	प्रति शेयर आय (प्रत्येक ________ रु./- का) (चालू एवं बंद परिचालनों के लिए) - 1. मूलः 2. कम करने के पश्चातः	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
14	पूंजी प्रतिदान आरक्षित निधि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
15	डिबेंचर प्रतिदान आरक्षित निधि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
16	ऋण चुकौती कवरेज अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
17	ब्याज चुकौती कवरेज अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

नोट:
1. उपरोक्त परिणाम लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल द्वारा 08 अगस्त, 2024 को आयोजित संबंधित बैठकों में क्रमश: समीक्षित और नोट किए गए हैं।
2. उपर्युक्त विवरण सेबी सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियम, 2015 के विनियम 52 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किए जाने वाले तिमाही और/या वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही और/या वार्षिक परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बैंक की वेबसाइट (https://eximbankindia.in/Hindi/investor-relations) और एनएसई की वेबसाइट (https://www.nseindia.com) पर उपलब्ध है।
3. सेबी सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियम, 2015 के विनियम 52 (4) में संदर्भित अन्य मदों से संबंधित प्रकटीकरण एनएसई को किए गए हैं और इन्हें (https://www.nseindia.com) पर एक्सेस किया जा सकता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
हस्ताक्षरित/-
हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

स्थानः मुंबई
दिनांक: 08 अगस्त, 2024

क्रेडिट रिपोर्टिंग

अब पाक्षिक क्रेडिट रिपोर्टिंग अनिवार्य

आतिरा वारियर
मुंबई, 8 अगस्त

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय के तहत ऋण संबंधित जानकारी पाक्षिक आधार पर सौंपना अनिवार्य बना दिया। बैंकिंग नियामक ने गुरुवार को जारी एक अधिसूचना में कहा है कि यह बदलाव 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगा।

मौजूदा समय में, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस (सीआई) को अपने उधारकर्ताओं की ऋण संबंधित जानकारी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज (सीआईसी) को मासिक आधार पर या ऐसे छोटे अंतरालों (जैसा कि सीआई और सीआईसी के बीच पारस्परिक सहमति से तय हो) पर रिपोर्ट करना आवश्यक है।

मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए आरबीआई के गवर्नर श क्तिकांत दास ने कहा, 'ऋण जानकारी की रिपोर्टिंग की फ्रिक्वेंसी बढ़ाकर पाक्षिक आधार या संक्षिप्त अवधि करने का निर्णय लिया गया है।'

इसके परिणामस्वरूप, ऋण लेने वालों को अपनी ऋण जानकारी जल्द अपडेट होने से, खासकर अपना बकाया चुकाते वक्त फायदा होगा। वहीं ऋणदाता भी ग्राहकों का बेहतर तरीके से जोखिम आकलन करने में सक्षम होंगे।

ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप मार्केट

एफपीआई निवेश सीमा की होगी समीक्षा

अंजलि कुमारी
मुंबई, 8 अगस्त

भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्र ने मौद्रिक नीति के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आरबीआई ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) बाजार में विदेशी निवेशकों की निवेश सीमा की समीक्षा कर रहा है। अभी विदेशी निवेशकों ने ओआईएस लेनदेन के लिए तय 3.5 अरब रुपये की सीमा का 96 फीसदी इस्तेमाल किया है, यानी वे अधिकतम सीमा के करीब हैं। ओआईएस बाजार सरकारी बॉन्ड बाजार के लिए डेरिवेटिव मार्केट है, जहां निवेशकों को ब्याज दर में उतारचढ़ाव के खिलाफ हेजिंग की इजाजत मिलती है। जेपी मॉर्गन की तरफ से भारतीय बॉन्ड को अपने इमर्जिंग मार्केट डेट इंडेक्स में पिछले साल सितंबर में शामिल किए जाने के बाद इस सेगमेंट में ट्रेडिंग काफी ज्यादा बढ़ी है।

पीएनबी गिल्ट्स के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्याधिकारी विकास गोयल ने कहा, डिप्टी गवर्नर ने सही कहा है, जिससे 5 वर्षीय व 10 वर्षीय सेगमेंट में और मांग बढ़ेगी। ओआईएस सीमा भी समीक्षा के दायरे में है, मुझे लगता है कि वे इसमें इजाफा करेंगे क्योंकि वे सभी कारोबार देश में चाहते हैं। लेकिन मसला यह है कि जब नियम तय हो जाएंगे तो उनमें बदलाव नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह कुछ हद तक अनिश्चितता पैदा करता है। पात्र ने कहा कि फुली एक्सेसेबल रूट (एफएआर) से नए 14 वर्षीय व 30 वर्षीय सरकारी बॉन्डों को निकालने से 5 व 10 वर्षीय बॉन्डों की मांग मजबूत हो सकती है। डेट में वॉल्यूम बढ़ने के साथ इस सेगमेंट में नकदी में बढ़ोतरी होगी, प्राइस डिस्कवरी सुधरेगी और लेनदेन लागत कम होगी।

पात्र ने कहा, मुझे उम्मीद है कि इसे 5-10 साल वाले सेगमेंट में संकेंद्रित किए जाने से यह वास्तव में और तरल होगा।